अध्याय V- तटरक्षक

5.1 तटरक्षक द्वारा एयर एनक्लेव की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण पर ₹5.73 करोड का निष्फल व्यय

नौसेना द्वारा 'अनापित्त प्रमाणपत्र' की आवश्यकता वाली राजपत्र अधिसूचना का संज्ञान लेने में रक्षा मंत्रालय/तटरक्षक/रक्षा सम्पदा कार्यालय की विफलता के कारण विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से ₹5.73 करोड़ की लागत से प्राप्त भूमि पर तटरक्षक के लिए एअर एनक्लेव नहीं बन सका। इसके परिणामस्वरूप निवेश के निष्फल रहने के साथ-साथ तटरक्षक की परिचालनात्मक तैयारी भी प्रभावित हुई।

नागरिक विमानन मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2010 के अनुसार विमान अड्डों के लिए 'अनापित्त प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी)' जारी करने तथा किसी अन्य शर्त के लिए जो उन्हें उचित लगे, रक्षा प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नौसेनिक हवाई क्षेत्र के आस-पास एक एअर एनक्लेव को बनाने के लिए नौसेना से अनापित्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा (दिसम्बर 2014) कि 26 नवम्बर 2008 के परिदृश्य में तटीय निगरानी में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता को पूरा करने तथा विमानन परिसम्पत्तियों, जिन्हें देश तथा अपतटीय प्रतिष्ठानों की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चत करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चेन्नई/कोलकाता से रवाना करना पड़ता था, के अनावश्यक प्रेषक काल तथा थकान को टालने के लिए तटरक्षक ने विशाखापत्तनम में एअर एनक्लेव का प्रस्ताव किया था (जून 2009)।

रक्षा मंत्रालय ने ₹5.00 करोड़ की भूमि अधिग्रहण लागत सिहत ₹8.40 करोड़ की अनुमानित लागत पर विशाखापत्तनम में तटरक्षक एयर एनक्लेव (सीजीएई) की स्थापना की संस्वीकृति प्रदान की (जनवरी 2010)। तट रक्षक क्षेत्र(पूर्व) [सीजीआर (ई)] ने 'विशाखापत्तनम में सीजीएई की स्थापना हेतु विशाखापत्तनम पत्तन नयास (वीपीटी) से पांच एकड़ भूमि के अधिग्रहण' की सिफारिश के लिए एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की नियुक्ति की। सीजीआर(ई) की

शर्त के अनुसार, डीईओ(वी)¹ ने एचक्यूईएनसी(वी)² से रक्षा भूमि की उपलब्धता की जांच की (अप्रैल 2010)। डीईओ (वी) को फालत् भूमि की अनुपलब्धता सुनिश्चित करते समय (मई 2010), एचक्यूईएनसी(वी) ने उजागर किया कि भारतीय नौसेना की भावी अधिग्रहण योजनाओं के कारण, तटरक्षक द्वारा निर्धारित नौसेनिक क्षेत्र के पास वीपीटी भूमि पट्टे पर देने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक मामला उठाने पर विचार किया गया था। नौसेना ने यह भी कहा की सीजी द्वारा उक्त भूमि का अधिग्रहण एक समानान्तर रनवे बनाने की नौसैनिक योजना का विचलन होगा और इसलिए एक एयर एनक्लेव की स्थापना हेतु तट रक्षक को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने में उसकी (नौसेना की) सीमाएं होंगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौसेना की आपित्तयों के बावजूद भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने ₹5.73 करोड़ की राशि के लिए वीपीटी से पट्टे पर भूमि के अधिग्रहण की संस्वीकृति प्रदान की (अक्तूबर 2010)। भुगतान के पश्चात (जनवरी 2011), स्थल वीपीटी द्वारा तट रक्षक को सौंपा गया था (फरवरी 2011)। तत्पश्चात् सीजीआर (ई) ने ₹4.25 करोड़ की अनुमानित लागत पर 'ऊंची सुरक्षा दीवार तथा भूमि की लेविलंग के प्रावधान' हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2012)। तथापि, एचक्यूईएनसी (वी) के आदेश पर सिविल कार्य रोक दिया गया था (दिसम्बर 2012) जिसमें कहा गया था कि भूमि के उद्ग्रहण हेतु एनओसी नहीं मांगा गया था तथा नौसेना द्वारा प्रस्तावित (सितम्बर 2012) वैकिल्पिक स्थलों की छानबीन करने का सीजीआर (ई) को अन्रोध किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2014) कि सीजी ₹5.73 करोड़ का भुगतान करने (जनवरी 2011) के बावजूद भी अभिप्रेत उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग नहीं कर सका।

तटरक्षक ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि एयर एनक्लेव पर आधारित किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्वाड्रन के लिए विमान भूमि की उपलब्धता में अनिश्चितता तथा उसमें आधारभूत ढांचे की स्थापना के कारण प्राप्त नहीं हुआ था। उसने यह भी कहा कि समुद्री खोज तथा बचाव कार्यों के लिए नोडल एजेंसी होने के कारण, एयर एनक्लेव की स्थापना में विलम्ब ने परिचालनात्मक तैयारी को प्रतिकृल रूप से प्रभावित किया था।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2015 को समाप्त तिमाही के लिए मुख्य अभियंता (नौसेना) विशाखापत्तनम [सीई (एन) (वी)] की प्रगति रिपोर्ट से देखा कि ₹2.13 लाख का खर्च करने के बाद कार्य को रोक दिया गया था।

अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में मंत्रालय को सूचित किया गया था कि नहीं? लेखापरीक्षा के इस प्रश्न (मार्च 2016) के उत्तर में, सीजीएचक्यू ने उत्तर दिया

[े] डीईओ (वी) - रक्षा सम्पदा कार्यालय, विशाखापत्तनम

² एचक्युईएनसी (वी) - मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम

2016 की प्रतिवेदन संख्या 17 (नौसेना एवं तटरक्षक)

कि उन्होंने स्थल पर कार्य को रोकने के बारे में मंत्रालय को सूचित नहीं किया/ अवगत नहीं कराया क्योंकि मामला सीजीआर (ई) तथा एचक्यूईएनसी (वी) द्वारा स्थानीय रूप से डील किया जा रहा था।

इस प्रकार, राजपत्र अधिसूचना (जनवरी 2010) का संज्ञान लेने में मंत्रालय की विफलता तथा निर्माण कार्य की प्रगति में रुकावट के बारे में मंत्रालय को अवगत कराने में सीजी की विफलता के परिणामस्वरूप एअर एनक्लेव की स्थापना नहीं हो सकी और इसके कारण वीपीटी के अधिग्रहण पर ₹5.73 करोड़ का निवेश निष्फल रहने के साथ-साथ तटरक्षक की परिचलनात्मक तैयारी भी प्रभावित हुई।

यह मामला मंत्रालय को भेजा गया था (जनवरी 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

नई दिल्ली

दिनांक: 02 जून 2016

ANIC BUIL

(प्रमोद कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 02 जून 2016

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक